न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 45/2026 बउनवानी मंगली देवी बनाम तहसीलदार मलारना डूँगर
निवासी गंभीरा तहसील मलारना डूँगर

Appeal Number- 321384549555404

GCMS No-2026/ 104

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 26.2.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " ***दिनांक 1.1.2010 से अब तक राजस्व न्यायालयों मे लंबित प्रकरणो के संबंध में 5 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना*** " तहसीलदार मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सूचना अधि./2026/567 दिनांक 13.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2026 मे चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा जरिये पत्रांक/सूचना अधि0/2026/333 दिनांक 17.3.2026 से अवगत कराया कि चाही गयी सूचना विशिष्टिविहीन एवं सृजनात्मक होने से अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के तहत विस्तृत एवं सृजनात्मक होने से सूचना देय नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.2.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने से चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। जिसके संबंध मे तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner